



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 477]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 21, 2019/श्रावण 30, 1941

No. 477]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 21, 2019/SHRAVANA 30, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2019

सं. 04/2019-केंद्रीय उत्पाद शुल्क एनटी

सा.का.नि. 587(अ).—वित्त (सं०. 2) अधिनियम, 2019 की धारा 120 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती हैं कि सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना, 2019, 01 सितंबर, 2019 से लागू होगी।

[फा. सं. 267/78/19-सीएक्स8 (पार्ट III)]

माजिद खान, उपायुक्त सीएक्स-8

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st August, 2019

No. 04/2019 Central Excise-NT

G.S.R. 587(E).—In exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 120 of the Finance (No. 2) Act, 2019, the Central Government hereby appoints the 1st of September, 2019 as the date on which the Sabka Vishwas (Legacy Dispute Resolution) Scheme, 2019 shall come into force.

[F.No. 267/78/19-CX8(Pt III)]

MAZID KHAN, Dy. Commissioner CX-8

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2019

सं. 05/2019-केंद्रीय उत्पाद शुल्क एनटी

सा.का.नि. 588(अ).—वित्त (संख्या 2) अधिनियम 2019 (2019 का 23) की धारा 132 की उप धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित नियमों को बनाती है अर्थात् :—

1. लघु शीर्षक और प्रारंभ -

1. (1) ये नियम सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना, 2019 कहलाएंगे।
- (2) यह नियम एक सितंबर 2019 से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं - इन नियमों में जब तक कि अन्यथा संदर्भ की आवश्यकता ना हो,-

- (क) "योजना" से तात्पर्य वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 (2019 का 23) अध्याय V के अंतर्गत निर्दिष्ट सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना 2019 से है;
- (ख) "धारा" से तात्पर्य है वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 की धारा;
- (ग) "फार्म" से तात्पर्य इन नियमों के लिए फार्म संलग्न किए गए; और
- (घ) इन नियमों में प्रयोग किए गए किंतु इन नियमों में परिभाषित नहीं किए गए और वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 (2019 का 23) में अध्याय V के अंतर्गत योजना में परिभाषित किए गए अन्य सभी शब्द और अभिव्यक्तियां उस योजना में उन्हें क्रमशः सौंपे गए अर्थ होंगे।

3. धारा 125 के अंतर्गत उद्घोषणा का फॉर्म- (1) धारा 125 के अंतर्गत घोषणा इलेक्ट्रॉनिक रूप से <https://cbic-gst.gov.in> पर फॉर्म एसवीएलडीआरएस-1 में घोषणाकर्ता द्वारा या उसकी ओर से कार्य किए जाने हेतु अधिकृत किसी व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, द्वारा 31 दिसम्बर 2019 से पूर्व किया जा सकता है।

(2) प्रत्येक मामले के लिए एक अलग घोषणा दायर की जाएगी।

स्पष्टीकरण - इस नियम के उद्देश्य हेतु, किसी "मामले" से तात्पर्य-

- (क) कारण बताओ नोटिस, या ऐसे नोटिस, जो 30 जून 2019 को मौजूद स्थिति के अनुसार लंबित हैं/हैं।
- (ख) बकायों में कोई धनराशि; या

- (ग) ऐसे उद्धृत एक या एक से अधिक अपील या कोई पूछताछ या जांच या लेखा परीक्षा, जहां 30 जून 2019 को या उससे पहले राशि निर्धारित की गई है; या
- (घ) किसी स्वैच्छिक प्रकटीकरण से है।

4. स्वतः प्राप्ति —घोषणा की प्राप्ति पर, एक विशिष्ट संख्या वाली स्वतः पावती प्रणाली द्वारा उत्पन्न की जाएगी।

5. पद नामित समिति का गठन — (1) धारा 126 के अंतर्गत पदनामित समिति में निम्नलिखित शामिल होगा:-

- (क) प्रधान आयुक्त या आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर, जैसा भी मामला हो, और अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर, जैसा भी मामला हो, ऐसे मामलों में जहां कर बकाया पचास लाख रुपये से अधिक है:

बशर्ते कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के किसी आयुक्तालय में केवल एक ही पदनामित समिति होगी।

- (ख) अपर आयुक्त संयुक्त आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर, जैसा भी मामला हो, और उपायुक्त या सहायक आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर, जैसा भी मामला हो, ऐसे मामलों में जहां कर बकाया पचास लाख या उससे कम हो:-

बशर्ते कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के एक आयुक्तालय में केवल एक ही पदनामित समिति होगी।

- (ग) प्र. अपर महानिदेशक (स्थगन) या अपर महानिदेशक (स्थगन) महानिदेशालय, जीएसटी आसूचना, और अपर निदेशक संयुक्त निदेशक, जीएसटी आसूचना निदेशालय, दिल्ली।

2. पदनामित समिति के सदस्यों को खंड (क) और (ख) के मामले में प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर, जैसा भी मामला हो, द्वारा नामित किया जाएगा।

3. पदनामित समिति के सदस्यों को उपनियम (1) के उपखंड (ग) के मामले में पूर्व महानिदेशक या महानिदेशक, जीएसटी आसूचना महानिदेशालय, जैसा भी मामला हो, द्वारा नामित किया जाएगा।

6. नामित समिति द्वारा सत्यापन और आकलन जारी करना आदि- (1) धारा 125, सिवाय जब वह शुल्क की राशि के स्वैच्छिक प्रकटीकरण के एक मामले से संबंधित होती है, के अंतर्गत की गई घोषणा, घोषणा द्वारा प्रस्तुत किए गए व्यौरों के साथ-साथ विभाग के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर निर्दिष्ट समिति सत्यापित की जाएगी।

2. धारा 127 की उप-धारा (1) और (4), जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत वक्तव्य, देय राशि के व्यौरों को उसमें स्थापित किए जाने हेतु फॉर्म एसवीएलडीआरएस-3 में नियम 3 के उप-नियम (1) के अंतर्गत उद्घोषणा की प्राप्ति के साठ दिनों की अवधि के भीतर पदनामित समिति द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किए जाएंगे।

बशर्ते कि ऐसे किसी मामले, जहाँ पदनामित समिति द्वारा यथा निर्धारित देय राशि शून्य है और उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में कोई अपील लंबित नहीं है।

3. जहाँ घोषणाकर्ता या उसकी ओर से कार्य किए जाने हेतु अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा देय राशि का अनुमान लगाया जाता है, जो घोषणाकर्ता द्वारा घोषित राशि से अधिक है, तो, नामोदिष्ट समिति, फॉर्म एसवीएलडीआरएस-2 में, नियम 3 के उप-नियम (1) के व्यक्तिगत सुनवाई के लिए किसी अवसर के साथ-साथ आवेदक द्वारा देय राशि के एक आकलन के अंतर्गत उद्घोषणा की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी करेगी।

4. यदि घोषणाकर्ता या उसकी ओर से कार्य किए जाने हेतु प्राधिकृत कोई व्यक्ति उपनियम 3 के अंतर्गत आकलन के साथ सहमति या असहमति दर्शाता है या लिखित प्रस्तुतियाँ या व्यक्तिगत सुनवाई से झूट देने या स्थगन पाना चाहता है, तो वह इसे दर्शाते हुए इलेक्ट्रॉनिक रूप से एसवीएलडीआरएस-2 को फाइल करेगा:

बशर्ते यदि व्यक्तिगत सुनवाई की तारीख तक इस तरह के किसी समझौते या असहमति का संकेत नहीं दिया जाता है और घोषणाकर्ता व्यक्तिगत सुनवाई के लिए समिति से समझ उपस्थित नहीं होता है, तो समिति उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर मामले का फैसला करेगी।

5. उप-नियम (4) के अंतर्गत किसी स्थगन हेतु किसी अनुरोध की प्राप्ति पर, निर्दिष्ट समिति फॉर्म एसवीएलडीआरएस-2ख में इलेक्ट्रॉनिक रूप से इस अनुदान को दे सकती है:

बशर्ते स्थगन के बाद व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कमेटी के सामने पेश न हों, समिति उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर मामले का निर्णय करेगी।

6. फॉर्म एसवीएलडीआरएस-3 जारी किए जाने की तिथि के 30 दिन के भीतर, नामित समिति केवल एक अंकगणितीय त्रुटि या लिपिकीय त्रुटि को ठीक किए जाने हेतु अपने आदेश को संशोधित कर सकती है, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक संशोधित फॉर्म एसवीएलडीआरएस-3 जारी करके घोषणाकर्ता द्वारा या स्वतः ही बतायी जा रही इस तरह की त्रुटि पर रिकॉर्ड में ही स्पष्ट है।

	<i>[नोट:- यदि आपका जवाब हाँ है तब योजना के तहत आगे बढ़ने में असमर्थ है]</i>	
4.	क्या आप प्रतिदाय, त्रुटि के कारण बताओं नोटिस के संदर्भ में यह घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं? <i>[नोट:- यदि आपका जवाब हाँ है तब योजना के तहत आगे बढ़ने में असमर्थ है]</i>	हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>
5.	क्या इस मामले में न्यायिक निर्णय के संदर्भ में कोई अंतिम सुनवाई हुई है या 30.06.2019 या उससे पहले कोई अपील दायर की गई है जिसके लिए यह घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा है? <i>[नोट:- यदि आपका जवाब हाँ है तब आप मुकदमेबाजी की श्रेणी के तहत योजना में आगे बढ़ने में असमर्थ है]</i>	हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>
6.	क्या मालासेवाओं के संबंध में केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 या वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय V के तहत किसी भी ऐसे मामले में आपकी लेखा-परीक्षा हुई है, जिसके लिए यह घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा है? <i>[नोट:- यदि आपका जवाब हाँ है तब स्वैच्छिक प्रकटीकरण के तहत आप योजना में आगे बढ़ने में असमर्थ है]</i>	हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>
7.	क्या आपको संचालित होने वाली लेखा-परीक्षा के संदर्भ में केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी से लिखित में कुछ प्राप्त हुआ है? <i>[नोट:- यदि आपका जवाब हाँ है तब स्वैच्छिक प्रकटीकरण के तहत आप योजना में आगे बढ़ने में असमर्थ है]</i>	हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>
8.	क्या आपका किसी ऐसे मामले में केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 या वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय V के तहत माल, सेवाओं अथवा दोनों के संदर्भ में कोई पूछताछ या निरीक्षण किया गया है, जिसके लिए यह घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा है: (क) परिसरों की खोज (ख) समन जारी करना (ग) लेखा दस्तावेज या अन्य साक्ष्य तैयार करने की आवश्यकता (घ) बयानों की रिकॉर्डिंग <i>[नोट:- यदि आपका जवाब हाँ है तब स्वैच्छिक प्रकटीकरण के तहत आप योजना में आगे बढ़ने में असमर्थ है]</i>	हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>
9.	क्या आपने उस अवधि के लिए कोई रिटर्न दाखिल किया है जिसके लिए घोषणा की जा रही है कि शुल्क की राशि देय है, लेकिन भुगतान नहीं किया जा रहा है? <i>[नोट:- यदि आपका जवाब हाँ है तब स्वैच्छिक प्रकटीकरण के तहत आप योजना में आगे बढ़ने में असमर्थ है]</i>	हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>
10.	क्या इस मामले से संबंधित देय कर किसी पूछताछ, जांच या लेखा-परीक्षा के अधीन है अथवा दिनांक 30.06.2019 या उससे पहले परिमाणित नहीं किए गए हैं? <i>[नोट:- यदि आपका जवाब हाँ है तब जांच, पूछताछ या लेखा-परीक्षा के तहत आप योजना में आगे बढ़ने में असमर्थ है]</i>	हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>

9. आवेदन की श्रेणी

9.1 मुकदमा	9.1.1 एससीएन दिनांक 30.06.20	क्या मामला पीआरएडीजी/एडीजी (न्यायिक निर्णय) दिल्ली द्वारा अधिनियम के तहत है?					हाँ <input type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/>
		एससीएन सं. और दिनांक	ऑटो/कर/ चुंगी	ऑटो/कर/ चुंगी की राशि	जुमाने की राशि	विलंब शुल्क	जमा की गई राशि, यदि कोई हो	वकाया कर में से कर राहत घटाकर

19 तक लंबित ब्याज/ विलंब शुल्क/ जुमाना (यदि कोई हो) और 30.06.20 19 से पहले कोई सुनवाई नहीं हुई हो?	क	ख	ग	घ	ङ	च	छ					
	9.1.1 एससीएन दिनांक 30.06.20 19 तक लंबित विलंब शुल्क/सुमाना (यदि कोई हो) और 30.06.20 19 से पहले कोई सुनवाई नहीं हुई हो?	एससीएन सं. और दिनांक	जुमनि की राशि	विलंब शुल्क की राशि	वकाया कर में से राहत कर घटाकर							
9.1.3 दिनांक 30.06.20 19 को लंबित याचिका, 30.06.20 19 से पहले कोई सुनवाई न हुई हो	याचिका सं. और दायर करने की तिथि	फोरम	ओ-आई-ओ सं. और दिनांक	ओ-आई-ओ में सुनिश्चित झूटी/कर/ चुंगी	झूटी/कर/चुंगी की राशि	क्या ओ-आई-ओ संबंधी कोई विभागीय याचिका लंबित है	विवादास्पद झूटी/कर/चुंगी की राशि	विवादास्पद झूटी की कुल राशि	जुमनि की कुल राशि	विलंब शुल्क की कुल राशि	पूर्व जमा/ किसी अन्य जमा झूटी की राशि	वकाया कर में से कर राहत घटाकर
	क	क1	ख	ग	ग	ङ	च	छ	ज	झ	ञ	ट
9.2 एपीआरई एआरएस	9.2.1 याचिका दायर नहीं	आदेश सं. और प्राप्ति की तारीख	फोरम	ओ-आई-ओ या ओ-आई-ओ में सुनिश्चित झूटी/कर/ चुंगी	झूटी/कर/चुंगी की राशि	ओ-आई-ओ अथवा ओ-आई-ए पर अधिरोपित की गई जुमनि की राशि	ओ-आई-ओ अथवा ओ-आई-ए पर अधिरोपित की गई विलंब शुल्क की राशि	पूर्व जमा/किसी अन्य जमा झूटी की राशि	वकाया कर में से कर राहत घटाकर			
									क	ख	ग	घ

	9.2.2	विवरण में घोषित देय वकाया कर, किन्तु चुकाया नहीं	अवधि जिसके लिए रिटर्न दाखिल किया	रिटर्न दाखिल किए जाने की तिथि	माल/सेवाओं का व्यौरा	विवरण में घोषित देय/ड्यूटी/कर/चुंभी किन्तु चुकाया नहीं गया	विवरण में घोषित देय वकाया कर, किन्तु चुकाया नहीं	वकाया कर में से कर राहत घटाकर	
			क	ख	ग	घ	ङ	च	
9.3 चाँच पूछताछ या लेखा-परीक्षा	9.3.1	डीजीजीआई दावारा जाँच	ड्यूटी/कर/चुंभी	परिमाणित कुल राशि	परि-माणित राशि की संदर्भ सं. और प्रेषण तिथि	माल/सेवाओं का व्यौरा	शामिल मुद्दे	जमा की गई राशि	वकाया कर में से कर राहत घटाकर
			क	ख	ग	घ	ङ	च	छ
	9.3.2	आयुक्तलय द्वारा जाँच	ड्यूटी/कर/चुंभी	परिमाणित कुल राशि	परि-माणित राशि की संदर्भ सं. और प्रेषण तिथि	माल/सेवाओं का व्यौरा	शामिल मुद्दे	जमा की गई राशि	वकाया कर में से कर राहत घटाकर
			क	ख	ग	घ	ङ	च	छ
9.3.3 लेखा-परीक्षा			ड्यूटी/कर/चुंभी	परिमाणित कुल राशि	परि-माणित राशि की संदर्भ सं. और प्रेषण तिथि	माल/सेवाओं का व्यौरा	शामिल मुद्दे	जमा की गई राशि	वकाया कर में से कर राहत घटाकर
			क	ख	ग	घ	ङ	च	छ
9.4 स्वैच्छिक प्रकटीकरण			ड्यूटी/कर/चुंभी	परिमाणित कुल राशि	शामिल अवधि	माल/सेवाओं का व्यौरा	शामिल मुद्दे	वकाया कर में से कर राहत घटाकर	
			क	ख	ग	घ	ङ	च	

10. क्या आप व्यवस्था के तहत आंकलित किए गए कर राहत में से देय कर घटाने से सहमत हैं?
हाँ/नहीं

11. यदि नहीं, तो असहमति का कारण बताएं:

12. आपके आकलन के अनुसार कर राहत में से देयकर घटाकर राशि

सत्यापन

मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैंने सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना 2019 को पढ़ एवं समझ लिया है और योजना के प्रावधानों और शर्तों का पालन करूँगा, और घोषणा पत्र में दी गई सूचना सही एवं पूर्ण है एवं प्रसुत किए गए देय करों और अन्य व्यौरों की राशि वस्तुतः सही है। मैं योजना के तहत नामित प्राधिकारी द्वारा जमा की गई राशि अदा कर दूँगा।

मैं योजना के तहत नामित प्राधिकारी द्वारा जमा की गई राशि अदा कर दूँगा।

घोषणा पत्र दाखिल करने वाले प्राधिकृत प्रतिनिधि/घोषणाकर्ता का नाम:

दिनांक:

तिथि/माह/2019

पूर्वावलोकन

प्रस्तुत

फार्म एसवीएलडीआरएस-2

[पदनामित समिति द्वारा जारी किए जाने हेतु सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना नियमावली, के साथ पठित 2019 वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 की धारा 127 के अंतर्गत आकलन]

सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना, 2019

उद्घोषणा सं.

एसवीएलडीआरएस-2 सं.....

आयुक्तालय/डीजीजीआई, दिल्ली

जोन/डीजीजीआई, दिल्ली.....

जबकि पंजीकरण सं./गैर निर्धारित कोड सं.वाले श्री/सुश्री/मैसर्स (एतश्मिनपश्चात् उद्घोषणाकर्ता के रूप में संदर्भित) ने वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 की धारा 125 के अंतर्गत एक उद्घोषणा सं. दिनांक फाइल की है;

अतः, अब, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 की धारा 127 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नामित समिति, अभिलेख आधारित तथ्यों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना, 2019 के अंतर्गत उक्त उद्घोषणा द्वारा आविष्ट उसके/उसकी/उनके कर बकायों के पूर्ण और अनंतिम व्यवस्थापन के प्रति घोषणाकर्ता द्वारा देय निम्नलिखित आकलन राशि को निर्धारित करती है:

श्रेणी	माल/सेवा का विवरण	समाविष्ट मसौदा	समयावधि	बकाया कर		कर राहत	ड्यूटी का पूर्व-निवेश या कोई अन्य निवेश	देय अनुमानित राशि	
क	ख	ग	घ	ङ		च	छ	ज	
				नाम ई1	राशि ई2			नाम एच1	राशि एच2

*ड्यूटी/कर/उपकर का नाम

व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नोटिस

यदि घोषणाकर्ता, नामित समिति द्वारा यथा निर्धारित, देय आकलन राशि से सहमत नहीं है तो इसके कारणों के स्पष्टीकरण हेतु उनसे/...../2019 को प्रातः/सायं बजे (पता) पर नामित समिति के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होने का अनुरोध किया जाता है। यदि व्यक्तिगत सुनवाई की कोई अन्य तिथि और समय वांछित हो तो कृपया फॉर्म एसवीएलडीआरएस-2क जमा करें।

नामित समिति के सदस्य

1. नाम:

पदनाम:

2. नाम:

पदनाम:

(यह एक कंप्यूटर जनित प्रिंट है। अतः किसी हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है)

स्थान.....

दिनांक.....

पूर्वावलोकन

प्रस्तुत

फार्म एसवीएलडीआरएस-2क

[सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना नियमावली, 2019 के नियम 6 के साथ पठित वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 की धारा 127 के अंतर्गत लिखित प्रस्तुतियाँ, व्यक्तिगत सुनवाई की छूट और स्थगन]

सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना, 2019

1. क्या आप एसवीएलडीआरएस-2 सं. में अनुमान से सहमत हैं..... हाँ नहीं
2. क्या आप लिखित प्रस्तुति करना चाहते हैं: हाँ नहीं
3. असहमति के कारणों सहित लिखित प्रस्तुति:

4. क्या आप अपनी प्रस्तुति के समर्थन में दस्तावेज अधिभारित करना चाहते हैं? हाँ नहीं
यदि हाँ, तो दस्तावेज अधिभारित करें
5. क्या आप व्यक्तिगत सुनवाई से माफी चाहते हैं? हाँ नहीं
6. क्या आप व्यक्तिगत सुनवाई की पेशकश को स्थगित करना चाहते हैं? हाँ नहीं
7. सुनवाई के लिए पसंदीदा तिथि बताएं:
8. घोषणाकर्ता/अधिकृत प्रतिनिधि का नाम:

तिथि:

फार्म एसवीएलडीआरएस-2ख

[सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना नियमावली, 2019 के नियम 6 के साथ पठित वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 की धारा 127 के अंतर्गत स्थगन के पश्चात् व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना]

सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना, 2019

सेवा में,

श्री/सुश्री/मैसर्स

पंजीकरण सं.

सूचित किया जाता है कि सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना, 2019 के अंतर्गत आपके द्वारा फाइल की गई विषयपरक घोषणा सं. के संबंध में नामित समिति के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई.....(पता) के कार्यालय में(तिथि) को(प्रातः/सायं) बजे नियत की गई है।

कृपया नोट करें कि व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित होने में विफलता के मामले में नामित समिति आप के और आगे संदर्भ के बिना अभिलेख आधारित तथ्यों के आधार पर कानूनी प्रावधानों के अनुसरण में आपकी उद्धोषणा के संबंध में एक निर्णय लेगी।

नामित समिति के सदस्य

1. नाम:

2. नाम:

पदनाम:

पदनाम:

(यह एक कंप्यूटर जनित प्रिंट है। अतः किसी हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है)

स्थान.....

दिनांक.....

पूर्वावलोकन

प्रस्तुत

फार्म एसवीएलडीआरएस-3

[नामित समिति द्वारा जारी किए जाने हेतु सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना नियमावली, 2019 के नियम 6 के साथ पठित वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 की धारा 127 के अंतर्गत वक्तव्य]

सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना, 2019

उद्धोषणा सं.

एसवीएलडीआरएस-3 सं.

आयुक्तालय/डीजीजीआई, दिल्ली

जोन/डीजीजीआई, दिल्ली.....

जबकि पंजीकरण सं./गैर निर्धारित कोड सं.वाले श्री/सुश्री/ मैसर्स (एतश्मिनपश्चात् उद्धोषणाकर्ता के रूप में संदर्भित) ने वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 की धारा 125 के अंतर्गत एक उद्धोषणा सं. दिनांकफाइल की है;

अतः, अब, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 की धारा 127 की उप-धारा (1) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नामित समिति, अभिलेख आधारित तथ्यों पर विचार करने के पश्चात्, एतद्वारा योजना के अंतर्गत उक्त उद्धोषणा द्वारा आविष्ट (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944/वित्त विधेयक, 1994/उपकर अधिनियम) कर बकायों के पूर्ण और अंतिम व्यवस्थापन के प्रति घोषणाकर्ता द्वारा देय निम्नलिखित आकलन राशि को निर्धारित करती है:

श्रेणी	माल/सेवा का विवरण	समाविष्ट मसौदा	समयावधि	बकाया कर		कर राहत	ड्यूटी का पूर्व-निवेश या कोई अन्य निवेश	देय अनुमानित राशि	
क	ख	ग	घ	ङ		च	छ	ज	
				नाम ई1	राशि ई2			नाम एच1	राशि एच2

*ड्यूटी/कर/उपकर का नाम

टिप्पणी:

- (1) इस वक्तव्य की तिथि से तीस दिन के भीतर देय राशि का भुगतान किए जाने हेतु घोषणाकर्ता को एतद्वारा निदेश दिया गया है।
- (2) वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 की धारा 127 के उप-धारा (7) में निहित प्रावधानों के अनुसरण में, कर बकाया के संबंध में किसी आदेश और इस तरह के आहरण के प्रमाण प्रस्तुत किए जाने विरुद्ध निर्णायक को (उच्च न्यायालय के नाम का उल्लेख) उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय से पहले रिट याचिका/अपील संदर्भ को वापस लेना होगा;

नामित समिति के सदस्य

1. नाम:
पदनाम:

2. नाम:
पदनाम:

(यह एक कंप्यूटर जनित प्रिंट है। अतः किसी हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है)

स्थान.....

दिनांक.....

पूर्वावलोकन

प्रस्तुत

उद्घोषणाकर्ता के लिए

शुल्क भुगतान हेतु चालान लिंक की सुविधा

मामला वापस लेने के प्रमाण के दस्तावेज अपलोड करने की प्रसुविधा.....

घोषणाकर्ता/अधिकृत प्रतिनिधि का नाम:

दिनांक:

तिथि/माह/2019

पूर्वावलोकन

प्रस्तुत

फार्म एसवीएलडीआरएस -4

[सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना नियमावली, 2019 के नियम 9 के साथ पठित वित्त (सं0. 2) अधिनियम, 2019 की धारा 127 के अंतर्गत कर बकाया के पूर्ण और अंतिम व्यवस्थापना हेतु निर्वहन प्रमाणपत्र]

सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना नियमावली, 2019

उद्घोषणा सं.

एसवीएलडीआरएस-4 सं0.....

आयुक्तालय/डीजीजीआई, दिल्ली.....

जोन/डीजीजीआई, दिल्ली

जबकि पंजीकरण संख्या वाले (घोषणाकर्ता का नाम और पता) ने वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 की धारा 125 के अंतर्गत एक उद्घोषणा की थी ;

और जबकि वित्त (सं0. 2) अधिनियम, 2019 की धारा 127 के अंतर्गत दिनांक के एक वक्तव्य को जारी किए जाने के द्वारा नामित समिति ने नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार कर बकायों के पूर्ण और अंतिम व्यवस्थापन के प्रति योजना के प्रावधानों के अनुसरण में घोषणाकर्ता द्वारा देयरु0(.....रुपए) की राशि निर्धारित की:

श्रेणी	माल/सेवा का विवरण	समाविष्ट मसौदा	समयावधि	बकाया कर		कर राहत	ड्यूटी का पूर्व-निवेश या कोई अन्य निवेश	देय अनुमानित राशि	
क	ख	ग	घ	ङ		च	छ	ज	
				नाम ई1	राशि ई2			नाम एच1	राशि एच2

और जबकि घोषणाकर्ता ने वित्त (सं0.2) अधिनियम, 2019 की धारा 126 के अंतर्गत नामित समिति द्वारा निर्धारित राशि देय होने के नातेरु0(.....रुपए) का भुगतान किया है;

और जबकि घोषणाकर्ता ने बकाया कर के संबंध में किसी भी आदेश के विरुद्ध (आयुक्त (अपील) के नाम या सेसटैट (शाखा का नाम) का उल्लेख) के समक्ष एक अपील फाइल की थी और जबकि वित्त (सं0.2) अधिनियम, 2019 की धारा 127 की उप-धारा (7) में निहित प्रावधानों के अनुसरण में, उक्त अपील वापस ली गई समझी जाती है;

या

और जबकि घोषणाकर्ता ने देय कर के संबंध में किसी भी आदेश के विरुद्ध.....(उच्च न्यायालय के नाम का उल्लेख) उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष किसी रिट याचिका/अपील/संदर्भ को फाइल किया था और

घोषणाकर्ता ने उक्त रिट याचिका/अपील/संदर्भ और वित्त (सं0.2) अधिनियम, 2019 की धारा 127 की उप-धारा (7) में निहित प्रावधानों के अनुसरण में ऐसी वापसी के प्रस्तुत प्रमाण को वापस ले लिया है;

अतः अब, वित्त (सं0. 2) अधिनियम, 2019 की धारा 127 की उप-धारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नामित समिति एतद्वारा उक्त घोषणाकर्ता को निर्वहन प्रमाणपत्र जारी करती है:-

(क) उपर्युक्त घोषणाकर्ता द्वारा की गई उद्घोषणा सं0..... दिनांक में निर्धारित देय कर के पूर्ण और अंतिम व्यवस्थापन के प्रति घोषणाकर्ता से भुगतान की प्राप्ति को प्रमाणित करना;

(ख) उपर्युक्त मामले के संबंध में किसी भी आगे की ड्यूटी, ब्याज या जुर्माना के भुगतान से घोषणाकर्ता को डिस्चार्ज करना;

(ग) उपर्युक्त मामले के संबंध में उक्त अधिनियम के अंतर्गत शास्ति के अधिरोपण से या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944/वित्त अधिनियम 1944/का अध्याय V/..... उपकर अधिनियम) के अंतर्गत किसी अपराध के लिए अभियोजन हेतु किसी कार्यवाही की स्थापना से, योजना में समाविष्ट प्रावधानों के अध्यक्षीन, प्रतिरक्षा प्रदान करना; और

(घ)

(a) इस डिस्चार्ज प्रमाणपत्र के संबंध में वित्त (नंबर 2) अधिनियम 2019 की धारा 129 और 131 के प्रावधान लागू होंगे।

नामित समिति के सदस्य

1. नाम: 2. नाम:
पदनाम: पदनाम :

(यह एक कंप्यूटर जनित प्रिंट है। अतः किसी हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है)

स्थान.....

तिथि

पूर्वावलोकन

प्रस्तुत

सेवा में

1. घोषणाकर्ता
2. अधिनिर्णयन अधिकारी
3. आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और सीजीएसटी (क्षेत्राधिकार)
4. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और सीजीएसटी/प्र.महानिदेशक, डीजीजीआई
5. संबद्ध अपीलीय मंच

एनबी: जो भी लागू न हो उसे हटा दें।

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2019

No. 05/2019 Central Excise-NT

G.S.R. 588(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 132 of the Finance (No. 2) Act, 2019 (23 of 2019), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Sabka Vishwas (Legacy Dispute Resolution) Scheme Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the 1st day of September, 2019.

2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Scheme" means the Sabka Vishwas (Legacy Dispute Resolution) Scheme, 2019, specified under Chapter V of the Finance (No.2) Act, 2019 (23 of 2019);

(b) "section" means the section of the Finance (No. 2) Act, 2019;

(c) "Form" means the Form annexed to these rules;

(d) Words and expressions used in these rules but not defined in these rules and defined in the Scheme shall have the meanings respectively assigned to them in the Scheme.

3. Form of declaration under section 125 .- (1) The declaration under section 125 shall be made electronically at <https://cbic-gst.gov.in> in Form SVLDRS-1 by the declarant ,on or before the 31st December,2019.

(2) A separate declaration shall be filed for each case.

Explanation. - For the purpose of this rule, a "case" means –

(a) a show cause notice, or one or more appeal arising out of such notice which is pending as on the 30th day of June, 2019; or

(b) an amount in arrears; or

(c) an enquiry or investigation or audit where the amount is quantified on or before the 30th day of June, 2019; or

(d) a voluntary disclosure.

4. Auto acknowledgement.- On receipt of declaration, an auto acknowledgement bearing a unique reference number shall be generated by the system.

- 5. Constitution of designated committee.-** (1) The designated committee under section 126 shall consist of -
- (a) the Principal Commissioner or Commissioner of Central Excise and Service Tax, as the case may be, and the Additional Commissioner or Joint Commissioner of Central Excise and Service Tax, as the case may be, in a case where the tax dues are more than rupees fifty lakh:
- Provided that there shall be only one such designated committee in a Commissionerate of Central Excise and Service Tax;
- (b) the Additional Commissioner or Joint Commissioner of Central Excise and Service Tax, as the case may be, and the Deputy Commissioner or Assistant Commissioner of Central Excise and Service Tax, as the case may be, in a case where the tax dues are rupees fifty lakh or less:
- Provided that there will only be one such designated committee in a Commissionerate of Central Excise and Service Tax;
- (c) the Principal Additional Director General (Adjudication) or Additional Director General (Adjudication), Directorate General of Goods and Services Tax Intelligence (DGGI), and Additional Director or Joint Director, Directorate General of Goods and Services Tax Intelligence(DGGI), Delhi.
- (2) The members of the designated committee mentioned in clause (a) and (b) of sub-rule (1) shall be nominated by the Principal Chief Commissioner or Chief Commissioner of Central Excise and Service Tax, as the case may be.
- (3) The members of the designated committee mentioned in clause (c) of sub-rule (1) shall be nominated by Pr. Director General or Director General, Directorate General of Goods and Services Tax Intelligence (DGGI), as the case may be.
- 6. Verification by designated committee and issue of estimate, etc.-** (1) The declaration made under section 125, except when it relates to a case of voluntary disclosure of an amount of duty, shall be verified by the designated committee based on the particulars furnished by the declarant as well as the records available with the Department.
- (2) The statement under sub-sections (1) and (4) of section 127, as the case may be, shall be issued by the designated committee electronically, within a period of sixty days from the date of receipt of the declaration under sub-rule (1) of rule 3, in Form SVLDRS-3 setting forth therein the particulars of the amount payable:
- Provided that no such statement shall be issued in a case where the amount payable, as determined by the designated committee is nil and there is no appeal pending in a High Court or the Supreme Court.
- (3) Where the amount estimated to be payable by the declarant exceeds the amount declared by the declarant, then, the designated committee shall issue electronically, within thirty days of the date of receipt of the declaration under sub-rule (1) of rule 3, in Form SVLDRS-2, an estimate of the amount payable by the declarant along with a notice of opportunity for personal hearing.
- (4) If the declarant wants to indicate agreement or disagreement with the estimate referred to in sub-rule (3) or wants to make written submissions or waive personal hearing or seek an adjournment, he shall file electronically Form SVLDRS-2A indicating the same:
- Provided that if no such agreement or disagreement is indicated till the date of personal hearing and the declarant does not appear before the designated committee for personal hearing, the committee shall decide the matter based on available records.
- (5) On receipt of a request for an adjournment under sub-rule (4), the designated committee may grant the same electronically in Form SVLDRS-2B:
- Provided if the declarant does not appear before the designated committee for personal hearing after adjournment, the committee shall decide the matter based on available records.
- (6) Within thirty days of the date of issue of Form SVLDRS-3, the designated committee may modify its order only to correct an arithmetical error or clerical error, which is apparent on the face of record, on such error being pointed out by the declarant or *suo motu* by issuing electronically a revised Form SVLDRS-3.
- 7. Form and manner of making the payment.-** Every declarant shall pay electronically the amount, as indicated in Form SVLDRS-3 issued by the designated committee, within a period of thirty days from the date of its issue.
- 8. Proof of withdrawal of appeal from High Court or Supreme Court.-** Proof of withdrawal of appeal or writ petition or reference before a High Court or the Supreme Court, as the case may be, under sub-section (7) of section 127 shall be furnished electronically by the declarant.
- 9. Issue of discharge certificate.-** The designated committee on being satisfied that the declarant has paid in full the amount as determined by it and indicated in Form SVLDRS-3, and on submission of proof of withdrawal of appeal or writ petition or reference referred to in rule 8, if any, shall issue electronically in Form SVLDRS-4 a discharge certificate under sub-section (8) of section 127 within thirty days of the said payment and submission of the said proof, whichever is later:

Provided that in a case where Form SVLDRS-3 has not been issued by the designated committee by virtue of the *proviso* to sub-rule (2) of rule 6, the discharge certificate shall be issued within thirty days of the filing of declaration referred to in sub-rule (1) of rule 3.

[F. No. 267/78/19 - CX8 (Pt III)]

MAZID KHAN, Dy. Commissioner CX-8

Form SVLDRS-1

[Declaration under section 125 of the Finance Act (No. 2), 2019 read with rule 3 of the Sabka Vishwas (Legacy Dispute Resolution) Scheme Rules, 2019]

SABKA VISHWAS (LEGACY DISPUTE RESOLUTION) SCHEME, 2019

(Please read the Scheme carefully before filling the form)

Part-A

1. Do you have a Central Excise or Service Tax Registration No.

Yes	No
-----	----

2. Name of the Declarant

--

3. Address of the declarant

4. Pin Code

--	--	--	--	--	--

5. Mobile Number

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6. Email

--

7. PAN

--

8. Select a Commissionerate

--

Part-B

1. Central Excise or Service Tax Registration No.

--

2. Name of the declarant

--

9.3 Investigation, Enquiry or Audit	9.3.1 Investigation by DGGI	Duty/Tax/Cess	Total Amount Quantified	Reference No. and Date of communication of Quantified Amount	Description of Goods/ Services	Issue Involved	Amount Deposited	Tax Dues less Tax Relief
		A	B	C	D	E	F	G
	9.3.2 Investigation by Commissionerate	Duty/Tax/Cess	Total Amount Quantified	Reference No. and Date of communication of Quantified Amount	Description of Goods/ Services	Issue Involved	Amount Deposited	Tax Dues less Tax Relief
		A	B	C	D	E	F	G
	9.3.3 Audit	Duty/Tax/Cess	Total Amount Quantified	Reference No. and Date of communication of Quantified Amount	Description of Goods/ Services	Issue Involved	Amount Deposited	Tax Dues less Tax Relief
		A	B	C	D	E	F	G
9.4 VOLUNTARY DISCLOSURE		Duty/Tax/Cess	Total Amount	Period involved	Description of Goods/ Services	Issue involved	Tax Dues less Tax Relief	
		A	B	C	D	E	F	

10. Do you agree with the Tax Dues less Tax Relief calculated by the System?

Yes/No

11. If you do not agree, state the reasons for disagreement:

12. Amount of Tax Dues less Tax Relief as per your calculation

VERIFICATION

I declare that I have read and understood the SABKA VISHWAS (LEGACY DISPUTE RESOLUTION) SCHEME, 2019, and agree to abide by the provisions and conditions of the Scheme, and that the information given in this declaration is correct and complete and the amount of tax dues and other particulars shown therein are truly stated.

I shall pay the amount as may be determined by the Designated Authority under the Scheme.

Name of declarant/ authorized representative filing this declaration:

Date:

dd/mm/2019

PREVIEW

SUBMIT

Form SVLDRS-2

[Estimate under section 127 of the Finance (No.2) Act, 2019 read with rule 6 of the Sabka Vishwas (Legacy Dispute Resolution) Scheme Rules, 2019 to be issued by the Designated Committee]

SABKA VISHWAS (LEGACY DISPUTE RESOLUTION) SCHEME, 2019

Declaration No.....
SVLDRS-2 No.....
Commissionerate/DGGI, Delhi.....
Zone/DGGI, Delhi.....

Whereas Mr./Ms./M/s. (hereinafter referred to as the declarant) having registration no./Non assessee code no..... has filed a Declaration No..... datedunder section 125 of the Finance (No. 2) Act, 2019;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 127 of the Finance (No. 2) Act, 2019, the designated committee, after consideration of facts on record, hereby determines the following amount estimated to be payable by the declarant towards full and final settlement of his/her/their tax dues covered by the said declaration under the Sabka Vishwas (Legacy Dispute Resolution) Scheme, 2019:

Category	Description of Goods/ Services	Matter involved	Time period	Tax dues		Tax relief	Pre-deposit or any other deposit of duty	Estimated Amount Payable	
				Name*	Amount			Name*	Amt
A	B	C	D	E1	E2	F	G	H1	H2

*Name of Duty/Tax/Cess

Notice For Personal Hearing

If the Declarant does not agree with the Estimated Amount Payable, as determined by the designated committee, he is requested to appear for a Personal Hearing before the designated committee on/...../2019 at AM/PM at(address) to explain the reasons thereof. Please submit Form SVLDRS 2A in case any other date and time of personal hearing is desired.

Members of the Designated Committee

1. Name:
Designation:

2. Name:
Designation:

(This is a computer generated print. There is no need for a signature)

Place.....

Date.....

PREVIEW
dd/mm/2019

SUBMIT

Form SVLDRS-2A

[Written submissions, waiver of personal hearing and adjournment under section 127 of the Finance (No.2) Act, 2019 read with rule 6 of the Sabka Vishwas (Legacy Dispute Resolution) Scheme Rules, 2019]

SABKA VISHWAS (LEGACY DISPUTE RESOLUTION) SCHEME, 2019

1. Do you agree with the Estimate in SVLDRS-2 Number..... Yes No
2. Do you want make written submissions: Yes No
3. Written submission containing reasons for disagreement:

4. Do you want to upload documents in support of your submissions? Yes No

If Yes, Upload Documents

5. Do you want to waive personal hearing? Yes No
6. Do you want to seek an adjournment of personal hearing offered to you? Yes No
7. Indicate a preferred date for hearing:

8. Name of declarant/ authorized representative:

Date:

PREVIEW

SUBMIT

Form SVLDRS-2B

[Intimation of personal hearing after adjournment under section 127 of the Finance (No.2) Act, 2019 read with rule 6 of the Sabka Vishwas (Legacy Dispute Resolution) Scheme Rules, 2019]

SABKA VISHWAS (LEGACY DISPUTE RESOLUTION) SCHEME, 2019

To,
Mr./Ms./M/s.....
Registration No.....

This is to inform that the Personal Hearing before the designated committee in relation to the subject Declaration No.....filed by you under the Sabka Vishwas (Legacy Dispute Resolution) Scheme, 2019 has been fixed at(AM/PM) on.....(date) in the office of.....(address).

Please note that in the event of failure to attend the Personal Hearing the designated committee shall take a decision in regard to your Declaration in accordance with the legal provisions on the basis of the facts on record without further reference to you.

Members of the Designated Committee

- | | |
|--------------|--------------|
| 1. Name: | 2. Name: |
| Designation: | Designation: |

(This is a computer generated print. There is no need for a signature)

Place.....

Date.....

PREVIEW

SUBMIT

Form SVLDRS-3

[Statement under section 127 of the Finance (No.2) Act, 2019 read with rule 6 of the Sabka Vishwas (Legacy Dispute Resolution) Scheme Rules, 2019 to be issued by the Designated Committee]

SABKA VISHWAS (LEGACY DISPUTE RESOLUTION) SCHEME, 2019

Declaration No.....

SVLDRS-3 No.....

Commissionerate/DGGI, Delhi.....

Zone/DGGI, Delhi.....

Whereas Mr./Ms./M/s.(hereinafter referred to as the declarant) having registration no./Non assessee code no.....has filed a Declaration No..... datedunder section 125 of the Finance (No. 2) Act, 2019;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (4), as the case may be, of section 127 of the Finance (No. 2) Act, 2019, the designated committee, after consideration of relevant material, hereby determines the following amount is payable by the declarant towards full and final settlement of tax dues under(Central Excise Act, 1944 /Finance Act, 1994/Cess Act) covered by the said declaration under the Scheme:

Category	Description of Goods/ Services	Matter involved	Time period	Tax dues		Tax relief	Pre-deposit or any other deposit of duty	Estimated Amount Payable	
				Name*	Amount			Name*	Amt
A	B	C	D	E1	E2	F	G	H1	H2

*Name of Duty/Tax/Cess

Notes:

- (3) The Declarant is hereby directed to make payment of the amount payable within thirty days from the date of this Statement.
- (4) The Declarant has to withdraw the writ petition/appeal/reference before(mention the name of the High Court) High Court or the Supreme Court against any order in respect of the tax dues and furnish the proof of such withdrawal in accordance with the provisions contained in sub-section (7) of section 127 of the Finance (No. 2) Act, 2019;

And whereas the declarant has paid Rs. (Rupees) being the amount payable determined by the designated committee under section 126 of the Finance (No. 2) Act, 2019;

And whereas the declarant had filed an appeal before the (mention the name of the Commissioner (Appeal) or the CESTAT (Branch name) against any order in respect of the tax dues and whereas the said appeal is deemed to be withdrawn in accordance with the provisions contained in sub-section (6) of section 127 of the Finance (No. 2) Act, 2019;

OR

And whereas the declarant had filed a writ petition/appeal/reference before(mention the name of the High Court) High Court or the Supreme Court against any order in respect of the tax dues and the declarant has withdrawn the said writ petition/appeal/reference and furnished proof of such withdrawal in accordance with the provisions contained in sub-section (7) of section 127 of the Finance (No. 2) Act, 2019;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 127 of the Finance (No. 2) Act, 2019, the designated committee hereby issues this Discharge Certificate to the said declarant:-

- (a) certifying the receipt of payment from the declarant towards full and final settlement of the tax dues determined in the Statement No.....dated.....in accordance with the Declaration no.....dated.....made by the aforesaid declarant;
- (b) discharging the declarant from the payment of any further duty, interest or penalty with respect to the aforesaid matter;
- (c) granting immunity, subject to the provisions contained in the Scheme, from instituting any proceeding for prosecution for any offence under the Central Excise Act 1944/ Chapter V of the Finance Act 1994/----- Cess Act ----) or from the imposition of penalty under the said enactment, in respect of the aforesaid matter; and
- (d) The provisions of sections 129 and 131 of the Finance (No.2) Act 2019 will be applicable with respect to this Discharge Certificate.

Members of the Designated Committee

3. Name:
Designation:

2. Name:
Designation:

(This is a computer generated print. There is no need for a signature)

Place.....

Date.....

PREVIEW

SUBMIT

To

1. The Declarant
2. Adjudicating Officer
3. Commissioner of Central Excise, Service Tax and CGST (jurisdictional)
4. Chief Commissioner of Central Excise, Service Tax and CGST / Pr. Director General, DGGI
5. Concerned Appellate Forum

NB: Delete whatever is not applicable.